चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 03.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया तथा ड्रील कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा में जाकर थानों से आयी व परिवहन शाखा में मौजूद समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण कर आरक्षी/महिला आरक्षियों का अर्दली रुम किया गया।
परेड के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव, पीआरओ श्री प्रदीप पाल व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनांक 03.07.2026 को एक छात्रा सुश्री आरती जिनकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 की परीक्षा राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज एलआईसी तिराहा कर्वी चित्रकूट में थी। विलम्ब होने के कारण छात्रा चित्रकूट इण्टर कॉलेज पर मौजूद थी जो काफी परेशान हो गयी थी। इसी दौरान प्रभारी यातायात द्वारा मौके पर पहुंचकर छात्रा से वार्ता कर अपने सरकारी वाहन से गेट बंद होने से महज 3 मिनट शेष रहते छात्रा को परीक्षा केन्द्र राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज पहुंचाया गया। छात्रा ने चित्रकूट पुलिस का धन्यवाद करते हुए परीक्षा केन्द्र में प्रवेश किया।

(4). आज दिनांक 03.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 को शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जाने के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा जनपद के परीक्षा केन्द्र चित्रकूट इण्टर कॉलेज कर्वी एवं जन सेवा इण्टर कॉलेज कर्वी का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, कक्षों की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया गया।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 03.07.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त पूरन यादव पुत्र दयाराम निवासी ग्राम चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 7500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 03.07.2026 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2023 धारा 457,380,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कल्लू रैकवार पुत्र भीखम निवासी ग्राम रामपुर कल्याणगण थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष 04 माह की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.2023 को वादी विमल कुमार पुत्र रामकृपाल निवासी सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 04.04.2023 को अज्ञात चोरो द्वारा सोलर ऊर्जा बैटरी चोरी कर ले जाना । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 17/2023 धारा 457,380 भादवि0 पंजीकृत किया गया । विवेचक उ0नि0 भगवत नारायण द्वारा दिनांक 18.04.2023 को अभियुक्त कल्लू रैकवार को चोरी के सामाग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 07.03.2024 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 03.07.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामेश्वर पुत्र श्यामलाल निवासी गरीबदास का पुरवा मजरा सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 4871/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 03.07.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 190/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त बच्चीलाल पुत्र श्यामलाल निवासी गरीबदास का पुरवा मजरा सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 4440/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति

एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 03.07.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त कल्लू केवट पुत्र चौबा केवट निवासी खोपा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(10). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 03.07.2026 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामफेर निवासी ग्राम अशोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2405/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।